

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation/absorption: From amongst the regular Dispatch Rider and Group 'C' employees in level 1 in the pay matrix Rs. 18000-56900 in the Ministry of External Affairs possessing valid driving license for driving motor car on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor car failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group C employees in level 1 in the pay matrix Rs. 18000-56900 in other Ministries of the Central Government who possess the qualifications and experience provided for direct recruitment in column (7). Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel or Ex-servicemen: The Armed Forces Personnel due to retire or retired or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed for direct recruits shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director in charge of Administration- Chairman 2. Deputy Secretary/Under Secretary (Administration), to be nominated by Joint Secretary (in charge of Administration) – Member 3. Under Secretary, to be nominated by Joint Secretary (in charge of Administration) - Member 	<p>Not applicable.</p>

[F.No. Q/CAD/798/01/13]

G. BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(रोजगार महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2020

सा.का.नि. 108.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्र (समूह 'ग') अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें

ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय के अधीन दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्र (पूर्ववर्ती व्यवसायिक पुनःवास केंद्र) के कार्यालयों में करियर सहायक, क्षेत्र सहायक, आशुलिपिक, अपर श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, सेवा वाहन चालक, कर्मशाला परिचर और बहु कार्य कर्मचारिवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्र (समूह 'ग', अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.— ये नियम इससे उपबाद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता .—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. करियर सहायक (राष्ट्रीय करियर सेवा)	45* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 5: (29200-92300 रु.)	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों या

				<p>अनुसूचित जन जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों या दिव्यांग जनो या भूतपूर्व सैनिकों या विभागीय और सरकारी कर्मचारियों के अभ्यर्थियों के लिए आयु की उच्च सीमा शिथिल की जा सकती है)</p> <p>टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>
--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जानी वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और निःशक्तता अध्ययन में मास्टर्स डिग्री। वांछनीय अर्हता: सामाजिक कार्य विज्ञान, व्यावसायिक मार्गदर्शन और नौकरी नियोजन में काम काज का तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1:- अर्हताएं अन्यथा</p>	<p>शैक्षिक अर्हता: नहीं परंतु कम से कम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य समाज शास्त्र मनोविज्ञान और निःशक्तता अध्ययन में कम से कम डिग्री रखते हो। आयु: नहीं</p>	दो वर्ष	<p>50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति सह आमेलन द्वारा। 50% सीधे भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर दोनों के हो सकने पर प्रतिनियुक्ति सह आमेलन द्वारा।</p>

<p>सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>			
--	--	--	--

<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25500-81100 रु.) में के ऐसे क्षेत्र सहायक जिन्होंने संबंधित राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र में उक्त पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण: प्रोन्नति के लिए अर्हता सूची अधिकारियों द्वारा उनके अपने ग्रेड या पद में विहित अहर्क सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में बनाई जाएगी। प्रतिनियुक्ति सह आमेलन दिव्यांग जन के लिए किसी अन्य राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अहर्ता रखते हैं। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रोजगार निदेशक या रोजगार संयुक्त निदेशक - अध्यक्ष 2. उप निदेशक (रोजगार) या सहायक निदेशक (रोजगार) संबंधित दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र। - सदस्य 3. स्थानीय शिल्पी प्रशिक्षण संस्थान का प्रधानाचार्य या उप निदेशक (प्रशिक्षण) उन्नत प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान या फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान - सदस्य 	<p>लागू नहीं होता।</p>

<p>लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. क्षेत्र सहायक	31* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4: (25500-81100 रु.)	अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच (भारत (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों या दिव्यांग जनो या भूतपूर्व सैनिकों या विभागीय और सरकारी कर्मचारियों के अभ्यर्थियों के लिए आयु की उच्च सीमा शिथिल की जा सकती है) टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक अर्हता : सामाजिक कार्य या मनोविज्ञान या सामाजिक विज्ञान में किसी एक विषय के साथ समाज शास्त्र 3 वर्ष की डिग्री।</p> <p>टिप्पण:</p>	<p>शैक्षिक अर्हता: हां आयु: नहीं</p>	दो वर्ष	<p>50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर किसी दिव्यांग जन के लिए अन्य राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र में से प्रतिनियुक्ति सह आमेलन द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।</p> <p>50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर किसी दिव्यांग जन के लिए अन्य राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र में से</p>

अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		प्रतिनियुक्ति सह आमेलन द्वारा।
--	--	--------------------------------

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (19900-63200 रु.) में के ऐसे कर्मशाला परिचर जिन्होंने संबंधित दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण: प्रोन्नति के लिए अर्हता सूची अधिकारियों द्वारा उनके अपने ग्रेड या पद में विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में बनाई जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति सह आमेलन दिव्यांग जन के लिए किसी अन्य राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखते हैं।</p> <p>पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रोजगार निदेशक या रोजगार संयुक्त निदेशक - अध्यक्ष 2. उप निदेशक (रोजगार) या सहायक निदेशक (रोजगार) संबंधित दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र। -सदस्य 3. स्थानीय शिल्पी प्रशिक्षण संस्थान का प्रधानाचार्य या -सदस्य उप निदेशक (प्रशिक्षण) उन्नत प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान या फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. आशुलिपिक	21* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4: (25500-8110 रु.)	अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच (भारत (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों या दिव्यांग जनों या भूतपूर्व सैनिकों या विभागीय और सरकारी कर्मचारियों के अभ्यर्थियों के लिए आयु की उच्च सीमा शिथिल की जा सकती है) टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हता : किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण या उसका समतुल्य कौशल परीक्षण: श्रुति लेख- 10 मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट की दर से कौशल परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। प्रतिलेखन- कम्प्यूटर पर 8000 कार्पस प्रति घंटा की गति से 50 मिनट (अंग्रेजी) और 65 मिनट (हिंदी) में प्रचालन टिप्पण: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	शैक्षिक अर्हता: हां आयु: नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति-सह आमेलन द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (19900-63200 रु.) में के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने संबंधित राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र में उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो। आशुलिपि का कौशल और आवश्यक अर्हता रखते हो। पदधारी के कौशल का परीक्षण दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र में 'ग' कर्मचारी की प्रोन्नति के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा।</p> <p>टिप्पण: प्रोन्नति के लिए अर्हता सूची अधिकारियों द्वारा उनके अपने ग्रेड या पद में विहित अहर्क सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में बनाई जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति सह आमेलन दिव्यांग जन के लिए किसी अन्य राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखते हैं।</p> <p>पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रोजगार निदेशक या रोजगार संयुक्त निदेशक -अध्यक्ष 2. उप निदेशक (रोजगार) या सहायक निदेशक (रोजगार) संबंधित दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र। -सदस्य 3. स्थानीय शिल्पी प्रशिक्षण संस्थान का प्रधानाचार्य या उप निदेशक (प्रशिक्षण) उन्नत प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान या फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 	<p>लागू नहीं होता।</p>

सीधे भर्ती: कर्मचारी चयन आयोग द्वारा।		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. अपर श्रेणी लिपिक	21* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4: (25500-81100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति-सह आमेसन द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (19900-63200 रु.) में के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने संबंधित दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण: प्रोन्नति के लिए अर्हता सूची अधिकारियों द्वारा उनके अपने ग्रेड या पद में विहित अहर्क सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में बनाई जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति-सह-आमेसन दिव्यांग जन के लिए किसी अन्य राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के अधीन ऐसे कर्मचारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200 रु.) या इसके समतुल्य में, के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रोजगार निदेशक या रोजगार संयुक्त निदेशक -अध्यक्ष 2. उप निदेशक (रोजगार) या सहायक निदेशक (रोजगार) संबंधित दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र। -सदस्य 3. स्थानीय शिल्पी प्रशिक्षण संस्थान का प्रधानाचार्य या उप निदेशक (प्रशिक्षण) उन्नत प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान या फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान -सदस्य 	लागू नहीं होता।

बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. अवर श्रेणी लिपिक	42* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, सचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4: (19900-63200 रु.)	अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों या दिव्यांग जनो या भूतपूर्व सैनिकों या विभागीय और सरकारी कर्मचारियों के अभ्यर्थियों के लिए आयु की उच्च सीमा शिथिल की जा सकती है) टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबा द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हता : किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण या उसका समतुल्य कौशल परीक्षण: अनुज्ञात अवधि: 10 मिनट कम्प्यूटर पर टंकण गति: अंग्रेजी: 35 शब्द प्रति मिनट (10500 की डिप्रेशन प्रति घंटा) हिंदी: 30 शब्द प्रति मिनट (9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा)	शैक्षिक अर्हता: हां आयु: नहीं	दो वर्ष	50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा। 50% सीधे भर्ती द्वारा।

कौशल परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग या कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। टिप्पण: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।			
--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (18000-56900 रु.) में के ऐसे बहु कार्य कर्मचारीवृन्द जिन्होंने संबंधित दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो और स्तंभ 7 में विहित आवश्यक अर्हताएं और टंकण कौशल रखते हो।</p> <p>टिप्पण: प्रोन्नति के लिए अर्हता सूची अधिकारियों द्वारा उनके अपने ग्रेड या पद में विहित अहर्क सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में बनाई जाएगी।</p> <p>सीधे भर्ती: कर्मचारी चयन आयोग द्वारा।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रोजगार निदेशक या रोजगार संयुक्त निदेशक -अध्यक्ष 2. उप निदेशक (रोजगार) या सहायक निदेशक (रोजगार) संबंधित दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र। -सदस्य 3. स्थानीय शिल्पी प्रशिक्षण संस्थान का प्रधानाचार्य या उप निदेशक (प्रशिक्षण) उन्नत प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान या फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान -सदस्य 	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. सेवा यान चालक	21* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4: (19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों या दिव्यांग जनो या भूतपूर्व सैनिकों या विभागीय और सरकारी कर्मचारियों के अभ्यर्थियों के लिए आयु की उच्च सीमा शिथिल की जा सकती है) टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,

					नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं या समतुल्य</p> <p>सरकार के प्राधिकारी द्वारा जारी एलएमवी के लिए विधिमान्य ड्राइविंग अनुज्ञप्ति रखता हो। एलएमवी चलाने में 5 वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति-सह आमेलन द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन दिव्यांग जन के लिए किसी अन्य राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के अधीन ऐसे कर्मचारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखते हैं। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रोजगार निदेशक या रोजगार संयुक्त निदेशक -अध्यक्ष 2. उप निदेशक (रोजगार) या सहायक निदेशक (रोजगार) संबंधित दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र। -सदस्य 3. स्थानीय शिल्पी प्रशिक्षण संस्थान का प्रधानाचार्य या उप निदेशक (प्रशिक्षण) उन्नत प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान या फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान -सदस्य 	लागू नहीं होता।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सीधे भर्ती: विभागीय जांच समिति द्वारा आयोजित चालन प्रवीणता परीक्षण पास करने के अध्यक्षीन है।		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. कर्मशाला परिचर	63* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4: (19900-63200 रु.)	अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों या दिव्यांग जनो या भूतपूर्व सैनिकों या विभागीय और सरकारी कर्मचारियों के अभ्यर्थियों के लिए आयु की उच्च सीमा शिथिल की जा सकती है) टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक्यूलेशन या उसके समतुल्य; और शिल्पी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत अनुमोदित व्यवसायों में से किसी एक में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र, या उन्नय प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत अनुमोदित व्यवसायों में से किसी एक में राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र टिप्पण: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	शैक्षिक अर्हता: हां आयु: नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति सह आमेलन द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 1 (18000-56900 रु.) में के ऐसे कार्य कर्मचारीवृन्द जिन्होंने संबंधित दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो और व्यवसायिक परीक्षण पास करने के अध्याधीन हो।</p> <p>टिप्पण: प्रोन्नति के लिए अहर्ता सूची अधिकारियों द्वारा उनके अपने ग्रेड या पद में विहित अहर्क सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में बनाई जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति सह आमेसन दिव्यांग जन के लिए किसी अन्य राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अहर्ता रखते हैं। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रोजगार निदेशक या रोजगार संयुक्त निदेशक -अध्यक्ष 2. उप निदेशक (रोजगार) या सहायक निदेशक (रोजगार) संबंधित दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र -सदस्य 3. स्थानीय शिल्पी प्रशिक्षण संस्थान का प्रधानाचार्य या उप निदेशक (प्रशिक्षण) उन्नत प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान या फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.बहुकर्म कर्मचारीवृन्द	37* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1: (18000-56900 रु.)	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों या दिव्यांग जनो या भूतपूर्व सैनिकों या

					<p>विभागीय और सरकारी कर्मचारियों के अभ्यर्थियों के लिए आयु की उच्च सीमा शिथिल की जा सकती है)</p> <p>टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक अहर्ता: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से से मैट्रिक्यूलेशन या उसके समतुल्य</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति सह आमेलन दिव्यांग जन के लिए किसी अन्य राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अहर्ता रखते हैं। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रोजगार निदेशक या रोजगार संयुक्त निदेशक -अध्यक्ष 2. उप निदेशक (रोजगार) या सहायक निदेशक (रोजगार) संबंधित दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र। -सदस्य 3. स्थानीय शिल्पी प्रशिक्षण संस्थान का प्रधानाचार्य या उप निदेशक (प्रशिक्षण) उन्नत प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान या फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 	लागू नहीं होता

<p>प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सीधे भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा।</p>		
--	--	--

[फा.सं. डीजीई-ए-12018/1/2019-ईई-2]

नरेन्द्र मोहन गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT AND TRAINING)

New Delhi, the 17th July, 2020

G.S.R. 108.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Vocational Rehabilitation Centers (Group 'C' Non-gazetted posts) Recruitment Rules, 2014, except as respects, things done or omitted to be done before such supersession, the President of India hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Career Assistant, Field Assistant, Stenographer, Upper Division Clerk, Lower Division Clerk, Service Vehicle Driver, Workshop Attendant and Multi-Tasking Staff in the offices of National Career Service Centre for Differently Abled (Erstwhile Vocational Rehabilitation Centers) under the Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the National Career Service Centre for Differently Abled (Group 'C', Non-Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule Annexed to these rules.
3. **Number of the posts, classification and level in Pay matrix.**—The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** —The method of recruitment, age- limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification.**—No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with person having spouse living; or
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex- Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Career Assistant. (National Career Service)	45* (2019) * Subject to variation depending on work load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300)	Not applicable	Between 18 and 27 years. (Upper age-limit is relaxable for candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or Other Backward Classes or Differently Abled Persons or Ex-Servicemen or departmental and Government Employees in accordance with the instructions or orders issued by the Government of India from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangl Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential Qualification: Master's Degree in Social Work, Sociology, Psychology and Disabilities Studies from a recognised University.</p> <p>Desirable Qualification: Three years working experience in social work, vocational guidance, job placement in disability sector.</p> <p>Note 1: The Qualifications are relaxable at the discretion of Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of the candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	<p>Educational Qualification: No, but must possess at least Degree in Social Work, Sociology, Psychology and Disabilities Studies from a recognised University.</p> <p>Age: No</p>	Two years	<p>Fifty Percent by promotion, failing which by deputation-cum-absorption and</p> <p>Fifty Percent by direct recruitment failing which by deputation-cum-absorption.</p>

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Field Assistant in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the concerned National Career Service Centre.</p> <p>Note : The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.</p> <p>Deputation-cum-Absorption: From employees of any other National Career Service Centre for Differently Abled or Central Government or State Government</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director of Employment or Joint Director of Employment. – Chairman; 2. Deputy Director (Employment) or Assistant Director (Employment) of National Career Service Centre for Differently Abled concerned. – Member; 3. Principal of the Local Craftsman Training Institute or Deputy Director (Training) of Advanced Training Institute or National Vocational Training Institute or Foreman Training Institute or Industrial Training Institute. – Member. 	Not applicable.

<p>holding analogous post on regular basis having similar educational qualification as prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of application.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Field Assistant	31* (2019) * Subject to variation depending on work load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100)	Non-selection	<p>Between 18 and 27 years.</p> <p>(Upper age-limit is relaxable for candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or Other Backward Classes or Differently Abled Persons or Ex-Servicemen or departmental and Government Employees in accordance with the instructions or orders issued by the Government of India from time to time).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,</p>

					Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential Qualification: Three years Degree in Social Sciences with Social Work or Psychology or Sociology as one of the subjects.</p> <p>Note : The Qualifications are relaxable at the discretion of Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p>	<p>Educational Qualification: Yes Age: No</p>	Two years	Fifty Percent by promotion, failing which by Deputation-cum-absorption from other National Career Service Centre for Differently Abled failing both by direct recruitment and Fifty Percent by direct recruitment failing which by Deputation-cum-absorption from other National Career Service Centre for Differently Abled.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Workshop Attendants in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900 – 63200) with eight years regular service in the concerned National Career Service Centre for Differently Abled.</p> <p>Note : The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.</p> <p>Deputation-cum-Absorption: From employees of any other National Career Service Centre for Differently Abled or Central Government or State Government holding analogous post on regular basis having similar educational qualification as prescribed for direct recruits under column (7). The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director of Employment or Joint Director of Employment – Chairman. 2. Deputy Director (Employment) or Assistant Director (Employment) of National Career Service Centre for Differently Abled concerned. – Member. 3. Principal of the Local Craftsman Training Institute or Deputy Director (Training) of Advanced Training Institute or National Vocational Training Institute or Foreman Training Institute or Industrial Training Institute. – Member. 	Not applicable.

<p>The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of application.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Stenographer	21* (2019) * Subject to variation depending on work load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100)	Non-selection	<p>Between 18 and 27 years.</p> <p>(Upper age-limit is relaxable for candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or Other Backward Classes or Differently Abled Persons or Ex-Servicemen or departmental and Government Employees in accordance with the instructions or orders issued by the Government of India from time to time).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.</p> <p>{Where recruitment is not through Staff Selection Commission crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh</p>

					Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep}).
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential Qualification: 12th Pass or its equivalent from recognised Board or University, Skill Test: Dictation- 10 minutes @80 words per minute. The skill test to be conducted by Staff Selection Commission. Transcription – 50 minutes (English), 65 minutes (Hindi) on Computer Operation with the speed of 8000 characters per hour. Note : The Qualifications are relaxable at the discretion of Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p>	<p>Educational Qualification: Yes Age: No</p>	Two years	Promotion failing which by Deputation-cum-absorption failing both by direct recruitment

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Lower Division Clerk in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900 – 63200) with eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the concerned National Career Service Centre having essential qualification and skill of Stenography. The skill of the incumbent shall be tested by Departmental Promotion Committee constituted for promotion of Group 'C' employees in National Career Service Centre for Differently Abled. Note : The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post. Deputation-cum-Absorption: From employees of any other National Career Service Centre for Differently Abled or Central Government or State Government holding analogous post on regular basis having similar educational qualification as prescribed for direct recruits under column (7).</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director of Employment or Joint Director of Employment. – Chairman; 2. Deputy Director (Employment) or Assistant Director (Employment) of National Career Service Centre for Differently Abled concerned. – Member; 3. Principal of the Local Craftsman Training Institute or Deputy Director (Training) of Advanced Training Institute or National Vocational Training Institute or Foreman Training Institute or Industrial Training Institute. – Member.</p>	Not applicable.

<p>The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Direct Recruitment : Through Staff Selection Commission.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Upper Division Clerk	21* (2019) * Subject to variation depending on work load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100)	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation-cum-absorption.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Lower Division Clerk in level 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) with eight years regular service in the concerned National Career Service Centre for Differently Abled.</p> <p>Note: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.</p> <p>Deputation-cum-Absorption: From employees of the Central Government or State Government-holding analogous post on regular basis or, With eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk in level 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) or its equivalent. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director of Employment or Joint Director of Employment. – Chairman; 2. Deputy Director (Employment) or Assistant Director (Employment) of National Career Service Centre for Differently Abled concerned. – Member; 3. Principal of the Local Craftsman Training Institute or Deputy Director (Training) of Advanced Training Institute or National Vocational Training Institute or Foreman Training Institute or Industrial Training Institute. – Member. 	Not applicable.

<p>deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of application</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Lower Division Clerk	42* (2019) * Subject to variation depending on work load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200)	Non-selection	<p>Between 18 and 27 years.</p> <p>(Upper age-limit is relaxable for candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or Other Backward Classes or Differently Abled Persons or Ex-Servicemen or departmental and Government Employees in accordance with the instructions or orders issued by the Government of India from time to time).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.</p> <p>{Where recruitment is not through Staff Selection Commission crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for</p>

					those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep}).
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential Qualification: 12th Pass or its equivalent from recognized Board or University,</p> <p>Skill Test: Time Allowed: 10 minutes. Computer Typing Speed : English : 35 wpm (10500 Key Depression Per Hour) Hindi : 30 wpm (9000 Key Depression Per Hour) The Skill Test to be conducted by Staff Selection Commission or Staff Selection Board.</p> <p>Note : The Qualifications are relaxable at the discretion of Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p>	<p>Educational Qualification: Yes Age: No</p>	Two years	Fifty Percent by promotion failing which by direct recruitment and Fifty Percent by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Multi-Tasking Staff in level 1 in the pay matrix (Rs.18000 – 56900) with three years regular service in the concerned National Career Service Centre for Differently Abled and having essential qualifications and skill of typing prescribed in Column (7).</p> <p>Note: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.</p> <p>Direct Recruitment: Through Staff Selection Commission.</p>	<p>Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director of Employment or Joint Director of Employment. – Chairman; 2. Deputy Director (Employment) or Assistant Director (Employment) of National Career Service Centre for Differently Abled concerned. – Member; 3. Principal of the Local Craftsman Training Institute or Deputy Director (Training) of Advanced Training Institute or National Vocational Training Institute or Foreman Training Institute or Industrial Training Institute. – Member. 	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Service Vehicle Driver	21* (2019) * Subject to variation depending on work load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200)	Not applicable	Between 18 and 27 years. (Upper age-limit is relaxable for candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or Other Backward Classes or Differently Abled Persons or Ex-Servicemen or departmental and Government Employees in accordance with the instructions or orders issued by the Government of India from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualification: 10th Pass or its equivalent from a recognized Board or University. Possession of Valid Driving License for Light Motor Vehicle issued by Government Authority. Five years' experience in driving Light Motor Vehicle. Note 1: The Qualifications are relaxable at	Not applicable	Two years	Deputation-cum-absorption failing which by direct recruitment

<p>the discretion of Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of the candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>			
--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation-cum-Absorption: From employees of any other National Career Service Centre for Differently Abled or Central Government or State Government holding analogous post on regular basis having similar educational qualification as prescribed for direct recruits under column (7). The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Direct Recruitment: Subject to passing driving proficiency test organized by Departmental Screening Committee.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director of Employment or Joint Director of Employment. – Chairman; 2. Deputy Director (Employment) or Assistant Director (Employment) of National Career Service Centre for Differently Abled concerned. – Member; 3. Principal of the Local Craftsman Training Institute or Deputy Director (Training) of Advanced Training Institute or National Vocational Training Institute or Foreman Training Institute or Industrial Training Institute. – Member. 	<p>Not applicable.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Workshop Attendant	63* (2019) * Subject to variation depending on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900 – 63200)	Non-selection	Between 18 and 27 years. (Upper age-limit is relaxable for candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or

				Other Backward Classes or Differently Abled Persons or Ex-Servicemen or departmental and Government Employees in accordance with the instructions or orders issued by the Government of India from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).
--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential Qualification: Matriculation or equivalent from a Recognized Board; and</p> <p>National Trade Certificate in one of the trades approved under craft training scheme.</p> <p>or</p> <p>National Apprenticeship Certificate in one of the trades approved under advanced training scheme.</p> <p>Note : The Qualifications are relaxable at the discretion of Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p>	<p>Educational Qualification: Yes Age: No</p>	Two years	Promotion failing which by Deputation-cum-absorption, failing both by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Multi-Tasking Staff in level 1 in the pay matrix (Rs.18000 – 56900) with three years regular service in the concerned National Career Service Centre for Differently Abled and subject to passing of trade tests.</p>	<p>Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>1. Director of Employment or Joint Director of Employment. – Chairman;</p> <p>2. Deputy Director (Employment) or Assistant Director (Employment) of National Career Service Centre for Differently Abled concerned. – Member;</p>	Not applicable

<p>Note: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.</p> <p>Deputation-cum-Absorption: From employees of any other National Career Service Centre for Differently Abled or Central Government or State Government holding analogous post on regular basis having similar educational qualification as prescribed for direct recruits under column (7). The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of application.</p>	<p>3. Principal of the Local Craftsman Training Institute or Deputy Director (Training) of Advanced Training Institute or National Vocational Training Institute or Foreman Training Institute or Industrial Training Institute. – Member.</p>	
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Multi-Tasking Staff	37* (2019) * Subject to variation depending on work load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-1 in the pay matrix (Rs.18000 – 56900)	Not applicable	Between 18 and 27 years. (Upper age-limit is relaxable for candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or Other Backward Classes or Differently Abled Persons or Ex-Servicemen or departmental and Government Employees in accordance with the instructions or orders issued by the Government of India from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall

					be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualification: Matriculation or its equivalent from a Recognized Board or University	Not applicable	Two years	Deputation-cum-absorption failing which by Direct Recruitment

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation-cum-Absorption:</p> <p>From employees of any other National Career Service Centre for Differently Abled or Central Government or State Government holding analogous post on regular basis having similar educational qualification as prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>The maximum age-limit for appointment by deputation shall be</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director of Employment or Joint Director of Employment. – Chairman; 2. Deputy Director (Employment) or Assistant Director (Employment) of National Career Service Centre for Differently Abled concerned. – Member; 3. Principal of the Local Craftsman Training Institute or Deputy Director (Training) of Advanced Training Institute or National Vocational Training Institute or Foreman Training Institute or Industrial Training Institute. – Member. 	Not applicable.

<p>'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Direct Recruitment: Through Staff Selection Commission.</p>		
---	--	--

[F. No. DGE-A-12018/1/2019-EE-II]

NARENDRA M. GUPTA, Under Secy.